

20/11/24 पत्रावली पेश हुई

मूल अपील में निर्णय हो जाने से इस  
स्वगत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं  
रह जाता है। अतः स्वगत प्रार्थना पत्र खारिज  
किया जाता है। पत्रावली कैमल शुमार <sup>पत्र</sup> इस  
न्यायालय के तम्बर से कम होकर मूल अपील  
के संलग्न नहीं है।

अति. जिल्हा कलेक्टर पाली